झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे०सी०ई०सी०ई०बी०/61/16– 106 ,राँची/दिनांकः 05/10/2017

पारा–मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 (Para-Medical Entrance Competitive Examination-2017) के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय साक्षात्कार (Second Round of Counselling) के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

पर्षद द्वारा दिनांक 16.07.2017 को सम्पन्न पारा–मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के परीक्षाफल के आधार पर फार्मेसी, पारा–मेडिकल (एम०एल०टी०, ओ०टी० असिस्टेंट, एक्स–रे टेक, एनेसिथेसिया टेक,ई०सी०जी० टेक, डायलिसिस टेक, कैथ लेब टेक, डेंटल हायजिनिस्ट, ऑपथेलमिक असिस्टेंट, आप्टोमेटरिस्ट, सेनेटरी इंसपेक्टर इत्यादि) ड्रेसर, डेंटल चेयर साईड असिस्टेंट पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अनुशंसा भेजने के निमित्त प्रथम् साक्षात्कार दिनांक 07.09.2017 से दिनांक 09.09.2017 तक आयोजित की गई थी। अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकनोपरांत संस्थानों में रिक्त रह गये सीटों पर अनुशंसा भेजने के लिये दिनांक 12.10.2017 एवं 13.10.2017 को द्वितीय साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है। संस्थान–वार/पाठ्यक्रम–वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Download कॉलम पर देखा जा सकता है। साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम् साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का चयन नहीं किये हैं।

2. प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्ववत् सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान के पुनर्आवंटन हेतु अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नांकित दस्तावेज लाना अनिवार्य है :– (क) नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति, (ख) संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन–कौन से मूल प्रमाण–पत्र रखे गये हैं, (ग) संस्थान में जमा किये गये प्रमाण–पत्रों की छाया–प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, (घ) जाति प्रमाण–पत्र की छाया–प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो (आरक्षण का लाभ लेने के लिए) तथा (ड़) पूर्व में निर्गत औपबंधिक सीट आवंटन आदेश की छाया–प्रति।

3. उपरोक्त कंडिका–2 के अतिरेक अन्य सभी अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का आबंटन किया जाएगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र (मैट्रिक एवं इन्टर स्तरीय दोनों समूहों के लिए), **(ख)** इण्टरमीडिएट साईंस/10+2/ समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र (इन्टर स्तरीय समूह के लिए), **(ग)** पारा–मेडिकल

प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) {यदि प्रवेश–पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति}, (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–04–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र {दोनों समूहों के लिए} तथा (ङ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में) {दोनों समूहों के लिए} ।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के वैसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर Downloads कॉलम में देखा जा सकता है।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने हेतु) सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो **उन्हें भी सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का औपबंधिक आवंटन स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक सं0सं0–10/नर्सिंग–10–06/2015–234(10) दिनांक 22.08.2017 के आलोक में किया जायेगा।**

नोट (क) :– सिर्फ प्रवेश पत्र (Admit Card) गुम हो जाने की स्थिति में सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) की प्रति मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र के गुम होने के मामले में सनहा/प्रथम् सूचना प्रतिवेदन मान्य नहीं होगा।

4. **साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।**

5. इस विज्ञापन की उपरोक्त कण्डिका 2 एवं 3 में दर्ज वांछित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में सीट आवंटन नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

6. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/– का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–

क) साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है।

या

ख) साक्षात्कार शुल्क, पोस्ट ऑफिस चालान (P.O. Challan) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। चालान (P.O. Challan) की प्रति पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, चालान के माध्यम से भारतीय पोस्ट ऑफिस के किसी भी कम्प्यूटराईज्ड डाकघर में जमा किया जा सकेगा। Receipt की एक प्रति, पोस्ट ऑफिस चालान के निर्दिष्ट कॉलम में चिपकानी होगी।

या

ग) साक्षात्कार शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

नोट (ख) :– साक्षात्कार के समय बैंक/पोस्ट ऑफिस चालान (Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

7. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन आदेश में अंकित रहेगा।

8. **साक्षात्कार स्थल** :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

9. दिनांक 12.10.2017 एवं 13.10.2017 को साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) के अनुसार कक्षा–वार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC-I/BC-II कोटि के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन/समय अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/पाठ्यक्रमों/संस्थानों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/पाठ्यक्रमों/संस्थानों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दौरान ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

10. साक्षात्कार के दौरान अंतिम रूप से चयनित होने के पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों, उनके हस्ताक्षर, पहचान की छान–बीन एवं सत्यता की जॉच की जायेगी। जाली प्रमाण–पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षो तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

11. पारा–मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के परीक्षाफल के आधार पर सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों में फार्मेसी/पारा–मेडिकल/ड्रेसर पाठ्यक्रमों के प्रथम् वर्ष मे प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :–

11.2: पारा–मेडिकल {इंटर स्तरीय (पी0सी0एम0/पी0सी0बी0समूह)}				
Sl. No.	Category	PCMB CML Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1	As per PCMB CML Rank	1	1408	12.10.2017/10:00 AM

11.3: पारा–मेडिकल (मैट्रिक स्तरीय)				
Sl. No.	Category	CML Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1	As per CML Rank	1	649	13.10.2017/10:00 AM

12. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की मेधाक्रम पर उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को सीट, पाठयक्रम एवं संस्थान का आवंटन उनके मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जायेगा। **साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।**

13. यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी।

14. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों /दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान विलम्ब से सभी वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस समय/दिन पर उपलब्ध सीटों/पाठ्यक्रमों/संस्थानों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

15. प्रत्येक कोटि में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान आबंटन की गारंटी नहीं है।

16. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

17. जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम संख्या इस विज्ञापन की कंडिका 11 में अंकित हैं, उन्हें इस साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित समय एवं तिथि पर साक्षात्कार में निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। यदि वे चालू साक्षात्कार में निर्धारित समय/तिथि के बदले बाद में उपस्थित होते हैं तो उन्हें इस विज्ञापन की कण्डिका 14 के अनुसार ही सीट/पाठ्यक्रम/ संस्थान चयन का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

18. चालू साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छानुसार सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

20. साक्षात्कार से संबंधित किसी वांछित जानकारी हेतु पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और दूरभाष सं. 0651–6999170/6999171 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(सुरेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०)
परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक : जे.सी.ई.सी.ई.बी./61/16 – 713 ,राँची/दिनांक:05/10/2017

प्रतिलिपिः–

परीक्षा शाखा को पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Counselling कॉलम में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक